

5.8.24

वकील आर्ची उपस्थित नहीं लाया है कालांतर में अपेक्षा
नहीं हुई। अतः एकापक्षीय पत्रावली दिनांक 5.11.24 को पेश
हो। अतः लिखते पत्र वकील आर्ची द्वारा उचित सुधार
राजस्व गैरिड में करण होगा कलाप। आर्ची-पत्र के बारे
आर्ची शेष नहीं होने पर आर्ची-पत्र खीनार किया
जाता है। पत्रावली नंबर ले कर एकापक्षीय पत्रावली
अर्थात् एकापक्षीय पत्रावली



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

am.

GCMs

2023/332